

तहसीलदार

माण्डलगढ़

विषय: पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

उनवान

1. कैलाशचन्द्र पिता रामपाल जाति ब्राह्मण निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
2. कान्ता पुत्री रामपाल जाति ब्राह्मण निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
3. नन्दू पुत्री रामपाल जाति ब्राह्मण निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
4. मांगी देवी पत्नि स्व. रामपाल जाति ब्राह्मण निवासी काछ

बनाम

1. नन्दलाल पिता हाथीराम जाति आचार्य निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
2. नंदू पत्नि सुखपाल जाति आचार्य निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
3. रतन पिता सोहन जाति आचार्य निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
4. उगमा पिता मोहन जाति आचार्य निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
5. गोपाल पिता मिश्री जाति आचार्य निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
6. भूरी पत्नि रामविलास जाति आचार्य निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
7. लक्ष्मण पिता खाना जाति आचार्य निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
8. जगदीश पिता खाना जाति आचार्य निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आनुवातिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है ग्राम काछोला पटवार हल्का काछोला की सरहद में स्थित खाता संख्या 926 की आराजी संख्या 590 कुल कित्ता 1 रकबा 1.5297 बीघा भूमि की बशामलात् पडौंसियान के मौके पर रिकार्ड एवं कब्जेनुसार पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रुपये तय की जाती है, जो वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क 100/- रुपये राजकोष में जमा हो चुके हैं। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जे नहीं हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़